FIRST INFORMATION REPORT
(Under Section 154 Cr.P.C.)

प्रथम सूचना रिपोर्ट
(धारा 154 दंड प्रक्रिया सहिंता के तहत)

1. **District (जिला):** Anti Corruption Bureau, Haryana **P.S. (थाना):** ACB, Faridabad **Year (वर्ष):** 2021

FIR No. (प्र.सू.रि. सं.): 0014 **Date and Time of FIR (प्र.सू.रि. की दिनांक और समय):** 20/12/2021 16:10 hrs

2.

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धारा(एँ))
1	PREVENTION OF CORRUPTION ACT, 1988	13(1)E

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**

1 **Day (दिन):** **Date from (दिनांक से):** **Date To (दिनांक तक):**

Time Period (समय अवधि): **Time From (समय से):** **Time To (समय तक):**

(b) **Information received at P.S. (थाना जहां सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 20/12/2021 **Time (समय):** 16:00 hrs

(c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ):** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 004 **Date and Time (दिनांक और समय):** 20/12/2021 16:03 hrs

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** Written

5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**

1. **(a) Direction and distance from P.S. (थाना से दूरी और दिशा):** WEST, 04.00 Km **Beat No. (बीट सं.):** (s)

(b) Address (पता): नगर निगम,फरीदाबाद

(c) In case, outside the limit of this Police Station, then Name of P.S. (यदि थाना सीमा के बाहर है तो थाना का नाम):

District (State) (जिला (राज्य)):

6. **Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):**

(a) **Name (नाम):** अनिक कुमार ह0पु0से0 अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक

(b) **Father's/Husband's Name (पिता/पति का नाम):**

(c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष):** 1976 (d) **Nationality (राष्ट्रीयता):** INDIA

(e) **UID No. (यूआईडी सं.):**

(f) **Passport No. (पासपोर्ट सं.):**

Date of Issue (जारी करने की दिनांक): **Place of Issue (जारी करने का स्थान):**

(g)

ID Details (Ration Card, Voter ID Card, Passport, UID No., Driving License, PAN) (पहचान विवरण (राशन कार्ड ,मतदाता कार्ड ,पासपोर्ट, यूआईडी सं., ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड))

S. No. (क्र.सं.)	ID Type (पहचान पत्र का प्रकार)	ID Number (पहचान संख्या)

(h) **Occupation (व्यवसाय):**

(i) **Address (पता):**

S.No. (क्र.सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	**Present Address**	**थाना राज्य चौकसी ब्यूरो,, फ़रीदाबाद, ACB, Faridabad, Anti Corruption Bureau, Haryana, HARYANA, INDIA**
2	**Permanent Address**	**थाना राज्य चौकसी ब्यूरो,, फ़रीदाबाद, ACB, Faridabad, Anti Corruption Bureau, Haryana, HARYANA, INDIA**

(j) **Phone number (दूरभाष सं.):** **Mobile (मोबाइल सं.):**

7. **Details of known / suspected / unknown accused with full particulars (ज्ञात / संदिग्ध / अज्ञात अभियुक्त का पूरे विवरण सहित वर्णन):**

S. No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Present Address(वर्तमान पता)
1	जीतराम ए0ई0			1. नगर निगम,फ़रीदाबाद FARIDABAD,HARYANA,INDIA

8. **Reasons for delay in reporting by the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):**

9. **Particulars of properties of interest (संबन्धित सम्पत्ति का विवरण):**

S. No. (क्र.सं.)	Propertty Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य (रु में))

10. **Total value of property (In Rs/-) (सम्पत्ति का कुल मूल्य(रु में)):**

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण सं., यदि कोई हो):**

S. No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.डी.प्रकरण सं.)

12. **First Information contents (प्रथम सूचना तथ्य):**

सेवा में प्रबन्धक अफसर,थाना राज्य चैकसी ब्यूरो,फरीदाबाद मण्डल, फरीदाबाद।श्रीमान जी, जांच क्रमांक 02 दिनांक 22.01.2019 फरीदाबाद माननीय अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, चैकसी विभाग के यादि क्रमांक 52/64/2018-2 चै0-II दिनांक 17.01.2019 अनुसार एवं महानिदेषक राज्य चैकसी ब्यूरो (ह0) पंचकुला के कार्यालय के पृश्ठ क्रमांक 1384/आई-2/रा0चै0ब्यूरो(ह) दिनांक 23.01.2019 के अनुसार अतिरिक्त पुलिस महानिदेषक, गुप्तचर विभाग, हरियाणा के पत्र क्रमांक 4970/शिकायत शाखा-3 दिनांक 30.10.2018 की सोर्स रिपोर्ट के आधार पर दर्ज रजिस्टर होकर पडताल हेतु राज्य चैकसी ब्यूरो, फरीदाबाद मण्डल फरीदाबाद में प्राप्त हुई थी। जिसमें आरोप यह था कि श्री जीतराम ए0ई0 (उप मण्डल अभियन्ता) नगर निगम फरीदाबाद वर्ष 1988 से 1989 तक एडहोक जे0ई0 के पद पर कार्यरत रहा था और वर्ष

1990 में नगर निगम फरीदाबाद में बतौर कनिष्ठ अभियन्ता नियुक्त हुआ था जो वर्श 2007 में उपमण्डल अभियन्ता के पद पर पदौन्नत हुआ हैं। जिसने अपनी नियुक्ति के दौरान आय से अधिक सम्पत्ति अवैध स्त्रोतों से एकत्रित की हैं जो निम्नलिखित हैः-

क्र0सं0 अचल सम्पत्ति का स्थान अचल सम्पत्ति का प्रकार अर्जित करने के माध्यम अर्जित करने की तिथि

1 लुलवाडी 40 कनाल 3-1/2 मरला कृषि भुमि पैतृक

2 लुलवाडी 1 कनाल 7 मरला कृशि भूमी खरीदी हुई
03.04.1992

3 लुलवाडी 12 मरला कृशि भूमी खरीदी हुई
13.03.1995

4 लुलवाडी 6 मरला कृशि भूमी खरीदी हुई
05.02.1999

5 लुलवाडी 6 कनाल 14 मरला कृषि भूमि खरीदी हुई
04.04.2003

6 लुलवाडी 1 कनाल 8 मरला कृशि भूमी खरीदी हुई
25.04.2004

7 लुलवाडी 1-1/2 मरला कृशि भूमी खरीदी हुई
25.04.2008

8 लुलवाडी मकान पैतृक
....

9 फरीदाबाद 24-1/2 वर्ग गज प्लाट खरीदा हुआ
14.03.2001

10 फरीदाबाद 190 वर्ग गज खरीदा हुआ
06.12.2005

11 फरीदाबाद 350 वर्ग गज प्लाट उपहार
1995

12 गौच्छी 146 वर्ग गज प्लाट खरीदा हुआ
14.08.2006

13 गौच्छी 516 वर्ग गज प्लाट खरीदा हुआ
06.10.2006

14 गौच्छी 2 कनाल 3.63 मरला फार्म हाउस 30 साल पटटे पर
....

जिसकी जाच निरीक्षक त्रिभवन नारायण राज्य चैकसी ब्यूरो मण्डल फरीदाबाद द्वारा पूर्ण की गई थी जिसमें आरोप की पडताल के दौरान पाया गया कि कि प्रतिवादी श्री जीतराम, ए0ई0 नगर निगम प्रतिवादी श्री जीतराम, ए0ई0 नगर निगम फरीदाबाद जुलाई 1988 को नगर निगम में बतौर जे0ई0 नियुक्त हुआ था और अपनी नगर निगम फरीदाबाद में ही विभिन्न ब्रान्चों में तैनात रहा हैं। प्रतिवादी ने जुलाई 1988 से दिनांक 31.01.2019 तक नगर निगम विभाग से कटौती काटने उपरान्त कुल 69,68,889 रू0 बतौर वेतन प्राप्त किए हैं जिसकी 40 प्रतिशत बचत मु0 27,87,555 रूप्ये 60 पैसे वेतन से आय बनती हैं तथा इसके अलावा प्रतिवादी को विभाग से ए0सी0पी0 ऐरियर, व 7TH पे का ऐरियर 12,183 1,432611,55,444 आमदनी हुई हैं तथा प्रतिवादी को जीवन नगर सोहना रोड की दुकान में अपने हिस्से 24.5 वर्ग गज को दिनांक 03.09.2013 को श्रीमती हेमलता पत्नी विनोद गर्ग निवासी बल्लबगढ को मु0 3,71,000 रूपये में बेचने से आमदनी हुई, प्रतिवादी को दिनांक 05.02.2016 को अपनी पुरानी गाडी नं0 HR51AT2460 को मु0 2,00,000 रूप्ये में बेचने से आमदनी हुई हैं। प्रतिवादी द्वारा मार्च 2010 में स्फिट गाडी नं0 HR51AM0215 खरीदते समय स्टेट बैंक आफ हैदराबाद से मु0 2,00,000 रूपये का लोन लिया गया और प्रतिवादी द्वारा अक्टूबर 2012 में सैन्ट्रो गाडी नं0 HR 51AT2460 खरीदते समय स्टेट बैंक आफ इण्डिया से मु0 2,50,000 रूपये का लोन लिया गया प्रतिवादी की पत्नी श्रीमति सरस्वति को जनवरी 2019 तक आई0टी0आर0 अनुसार 41,47,981 रूप्ये की मकान व दुकानों का किराया तथा

अन्य स्त्रातों से आमदनी होनी दर्शाई हुई हैं जिसकी 80 प्रतिशत बचत मु0 33,18,384रूपये 80 पैसे आय बनती हैं। प्रतिवादी को मकान नं0 2460 सैक्टर 8 फरीदाबाद के नवीकरण के लिये पंजाब नैषनल बैंक से दिनांक 12.06.2018 को लोन से मु0 30,50,000 रूप्ये की आमदनी हुई हैं अतः प्रतिवादी श्री जीतराम व उसकी पत्नी श्रीमति सरस्वति देवी की जनवरी 2019 तक सभी साधनों से कुल 1,03,32,384 रूपये 40 पैसे की आमदनी होनी पाई गई हैं।अतः प्रतिवादी श्री जीतराम द्वारा अपने व अपनी पत्नी सरस्वति देवी के नाम से जनवरी 2019 तक उपरोक्त चल व अचल सम्पत्ति खरीदने पर सभी साधनों द्वारा कुल मु0 1,24,34,625 रूपये 45 पैसे खर्चा करना पाया गया हैं। जबकि प्रतिवादी की आय सभी जायज स्त्रोतों से जनवरी 2019 तक मु0 1,03,32,384 रूपये 40 पैसे बनती हैं अतः प्रतिवादी द्वारा जनवरी 2019 तक मु0 21,02,241 रूपये 05 पैसे आय से अधिक खर्चा करना पाया गया हैं। प्रतिवादी जीतराम द्वारा तालिका अनुसार समय-समय पर चल व अचल सम्पत्ति अपने व अपनी पत्नी के नाम से खरीदने पर नाजायज आय के स्त्रोतों से एकत्रित करनी पाई गई हैं अतः प्रतिवादी जीतराम पुत्र श्री शिवलीराम निवासी गाव लुलवाडी तहसील व जिला पलवल हाल मकान नं0 2460 सैक्टर 8 फरीदाबाद हाल तैनात एस0डी0ओ0 वार्ड नं0 7, 9 नगर निगम फरीदाबाद के खिलाफ जुर्म धारा 13 (1) ई0, भ्रष्टाचार अधिनियम के तहत अभियोग अंकित किये जाने का सुझाव दिया जाता हैं तथा प्रतिवादी जीतराम हाल तैनात ए0ई0 नगर निगम फरीदाबाद ने अपने व अपनी पत्नी श्रीमती सरस्वति देवी के नाम से जो भी चल-अचल सम्पत्ति खरीदी है, उस बारे विभाग से कोई पूर्व अनुमति नही ली गई हैं और सम्पत्ति खरीदने उपरान्त भी कोई सूचना विभाग को नही दी गई हैं, इसलिए इस बारे भी प्रतिवादी श्री जीतराम हाल तैनात ए0ई0 नगर निगम फरीदाबाद के खिलाफ हरियाणा सिविल सेवायें नियमावली 2016 (दण्ड व अपील) के नियम 8 के तहत विभागीय कार्यवाही अलग से किये जाने का सुझाव दिया जाता हैं। तथा इसके साथ साथ यह भी सुझाव दिया जाता हैं अनुसन्धान के दौरान प्रतिवादी की पत्नी श्रीमति सरस्वति देवी (PAN NO ACYPD0460D) द्वारा भरी गई आयकर रिटर्न की भी गहराई से जाच कर ली जाये क्योंकि श्रीमति सरस्वति देवी ने आय का स्त्रोत किराये की आमदनी के अलावा आयकर रिटर्न में टयूशन फीस तथा सिलाई कढाई से आमदनी के अलावा अन्य स्त्रोत (OTHER SOURCES) से आमदनी दर्शाई हैं जिनका स्पष्ट विवरण अंकित नही किया गया और जाच के दौरान भी ऐसा कोई साक्ष्य प्राप्त नही हुआ हैं जिससे प्रतिवादी की पत्नी श्रीमति सरस्वति देवी के सिलाई-कढाई के कार्य करने अथवा टयूशन पढाये जाने का कार्य सत्यापित हो सके ।और इसके अलावा प्रतिवादी ने अपने ब्यानो में स्पष्ट कहा हैं कि उसके पास कृषि भूमी से आय बारे कोई सबूत/दस्तावेज उपलब्ध नही हैं जिस बारे प्रतिवादी को कृषि आय से आमदनी बारे साक्ष्य उपलब्ध कराने बारे सूचना पत्र भी दिये गये परन्तु प्रतिवादी ने ऐसा कोई साक्ष्य या दस्तावेज जाच के दौरान उपलब्ध नही कराया हैं और नाही कृषि आमदनी बारे उसने अपनी आयकर रिटर्न में दर्षाया हैं, जिस कारण प्रतिवादी की कृशि आय को जोडा नही गया हैं और अगर प्रतिवादी जीतराम कृषि आय से सम्बन्धित कोई ठोस दस्तावेज अभियोग के अनुसन्धान के दौरान प्रस्तुत करें तो उसे अनुसंधान के दौरान गहराई से देख लिया जाये तथा इसके अलावा प्रतिवादी व उसके परिवार के सदस्यों के नाम अनुसंधान के दौरान कोई अन्य चल-अचल सम्पत्ति सामने आये तो उसे भी अनुसन्धान के दौरान देख लिये जाने का सुझाव दिया गया था जो मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार चैकसी विभाग कार्यालय के पृष्ठाकन क्रमांक 52/64/2018-2 चै0-II दिनांक 21.10.2021 व महानिदेषक, राज्य चैकसी ब्यूरो, हरियाणा पंचकुला कार्यालय के पृष्ठाकन नं0 18566/आई0-2/रा0चै0ब्यू0 (ह0) दिनांक 01.12.2021 के अनुसार जांच रिपोर्ट में दिये गये सुझाव के अनुमोदन अनुसार जीतराम पुत्र श्री शिवलीराम निवासी गांव लुलवाडी तहसील व जिला पलवल हाल मकान नं0 2460 सैक्टर 8 फरीदाबाद हाल तैनात एस0डी0ओ0 वार्ड नं0 7, 9 नगर निगम फरीदाबाद के विरूद्ध धारा 13(1) ई0 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत अभियोग अकिंत किया जावे व अभियोग की तफतीस के दौरान प्रतिवादी की पत्नी पत्नी श्रीमति सरस्वति देवी (PAN NO ACYPD0460D)) द्वारा भरी गई आयकर रिटर्न की भी गहराई से जाच कर ली जाये और इसके अलावा किसी अन्य व्यक्ति द्वारा प्रतिवादी को आय से अधिक सम्पत्ति एकत्रित करने में अगर कोई संलिप्तता पाई जाये तो उसे भी तफतीस के दौरान देख लिया जावे। तहरीर हजा बराये कायमी मुकदमा बदस्त सि0 ओमबीर सिंह न0 2917/गुरूग्राम के अरसाल थाना है। अभियोग अंकित करके नम्बर पर्चा से सूचित किया जावे। स्पैषल रिपोर्ट डियुटी मैजिस्ट्रेट व अफसरान बाला की सेवा में बिना किसी देरी के भिजवाई जावे। अभियोग की आगामी तफतीस के लिये अन्य अनुसन्धान अधिकारी नियुक्त किया जावे। आमदा रिकार्ड साथ सलंग्न है। अज- थाना राज्य चैकसी ब्यूरो, फरीदाबाद। (अनिल कुमार, ह0पु0से0),अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक,थाना राज्य चैकसी ब्यूरो, फरीदाबाद मण्डल, फरीदाबाद।दिनांक 07.12.2021 अज थाना –इस समय एक लिखित तहरीर बदस्त सिपाही ओमबीर न0 2917/गुरुग्राम के थाना पर प्राप्त हुई जो बर लिखित श्री अनिल कुमार ह0 पु0 से0 अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राज्य चौकसी ब्यूरो

फरीदाबाद बर खिलाफ श्री जीतराम ए0ई0 उपमंडल अभियंता पलवल प्राप्त होने पर मुकदमा नम्बर 14 दिनांक 20.12.2021 धारा 13(1) ई0 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम दर्ज रजिस्टर किया जाकर FIR की प्रतियां कम्प्युटर द्वारा तैयार की गई । जो मुकदमा हजा स्पैशल रिपोर्ट श्रेणी मे आने पर स्पैशल रिपोर्ट सिपाही ओमबीर न0 2917/गुरुग्राम के अफसरान बाला व ईलाका मजिस्ट्रैट साहब की सेवा मे भेजी जा रही है। नकल मिशल पुलिस मय असल रिकार्ड बराये आगामी अनुसंधान हेतु उप पुलिस अधीक्षक कैलाश चन्द थाना राज्य चौकसी ब्यूरो फ़रीदाबाद के हवाले की जाएगी। नोट- यह FIR निरीक्षक देशराज राज्य चौकसी ब्यूरो फ़रीदाबाद की हाजरी मे दर्ज रजि0 किया गया।

13. **Action taken: Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.** **(की गयी कार्यवाही : चूंकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता है कि अपराध करने का तरीका मद सं. 2 में उल्लेख धारा के तहत है.):**

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जांच के लिए लिया गया):** / **or (या)**

(2) **Directed (Name of I.O.) (जांच अधिकारी का नाम):** Kailash chand **Rank (पद):** Dy. SP (Deputy Superintendant of Police)

No. (सं.): INSP **to take up the Investigation (को जांच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or (या)**

(3) **Refused investigation due to (जांच के लिए):** **or (के कारण इंकार किया या)**

(4) **Transferred to P.S. (थाना):** **District (ज़िला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित).

F.I.R. read over to the complainant / informant, admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant /informant, free of cost. (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गयी, सही दर्ज हुई माना और एक कॉपी निशुल्क शिकायतकर्ता को दी गयी)

R.O.A.C.
(आर.ओ.ए.सी.)

Signature of Officer in charge, Police Station
(थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Name (नाम): Abhishek Jorwal

Rank (पद): SP (Superintendent of Police)

No. (सं.): IPS

14. **Signature / Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर /अंगूठे का निशान)**

15. **Date and time of dispatch to the court (**अदालत में प्रेषण की **दिनांक** और समय**):**

Error: Subreport could not be shown.